न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–161/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/332)

1. रामजी लाल शर्मा पुत्र नाथूराम, जाति ब्राहाम्ण, आयु 51 वर्ष, निवासी ग्राम गोलाकाबास, तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय, अलवर, राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री ध्रुवसिंह बगडिया एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांक 08.04.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 18.08.2021 को प्रसारित की गई कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 260 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार भू आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत जिला कलेक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यो एवं शक्तियों के तहत राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है तथा भूमि आवंटन करने के लिए अधिकृत किया जाता है तथा राजस्थान सरकार के द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुसरण में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन करने हेतु आगे की कार्यवाही उपखंड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा अमल में लाई गई तथा नियमानुसार प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 तहत आयोजित किए जाने वाले ग्राम शिविरों की सूची नियमानुसार विधायक महोदय, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिला वन अधिकारी, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच को सूचना प्रेषित की गई तथा आवंटित की जाने वाली भूमि की सूची संबंधित पटवारी, पटवार हल्का के द्वारा तैयार की गई तथा जरिए नोटिस कर सूचना पट्ट पर चस्पा कर, व्हाट्सएप के जरिए आवंटन हेतु जनहित की जानकारी में लाया गया, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिला वन अधिकारी को आवंटन के संदर्भ में उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा सूचित किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचना दिनांक 18.08.2021 के अनुसरण में शिविर आयोजित किए गए। शिविर में उपस्थित रहने हेतु संबंधित अधिकारियों को एवं जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया, सूचना के मुताबिक शिविर में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी

P.T.O

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

उपस्थित आए। भूमि आवंटन शिविर में अपीलार्थी के द्वारा हाल खसरा नम्बर 2043/11.47 के रकबे में से कृषि कार्य हेतु भूमि आवंटन करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के आवेदन पर आवंटन सलाहकार समिति ने हल्का पटवारी की पुराने कब्जे की रिपोर्ट देखने के पश्चात् अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन करने की सिफारिश की एव आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के पश्चात् उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा दिनांक 04.03.2022 को आवंटन पत्र क्रमांकः एल.आर/आवंटन/2021-22/5073 राजकीय पड़त भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी के पक्ष में खसरा नम्बर 2043/11.47 के रकबा में से 1.25 हैक्टयर किस्म सिवायचक बंजर भूमि कृषि कार्य हेतु आवंटित की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आवंटन के पश्चात् अपीलार्थी को कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर से एक नोटिस दिनांक 03.02.2023 को प्रेषित किया गया जिसके अंतर्गत 10 दिवस में जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु समय निर्धारित किया गया तथा नोटिस के साथ सूची प्रेषित की गई कि आवंटन के संदर्भ में उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा निम्न अनियमितताएं की गई है। अपीलार्थी के द्वारा नोटिस दिनांक 03.02.2023 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को आवंटित खसरा नंबर की कृषि भूमि 30 वर्षो से अपीलार्थी का कब्जा में है जिस पर अपीलार्थी द्वारा लगातार फसल काश्त की जा रही है। इसमें रबि एवं खरीफ की फसल बोई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट पटवारी के द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती रही है किन्तु अपीलार्थी के तथ्यों पर बिना गौर किये ही एवं अपीलार्थी को पक्ष रखने हेतु अधिवक्ता के जरिये उपस्थित होने का अधिकार नही देकर एवं न्यायिक प्रक्रिया एवं विधि के प्रावधानों की बिना पालना किये ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 के द्वारा उपखंड अधिकारी राजगढ़ पारित आवंटन आदेश दिनांक 04.03.2022 को अपास्त कर दिया गया जो आदेश विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी को दिनांक 03.02.2023 को जिला कलेक्टर कार्यालय से नोटिस जारी किए गए हैं जबकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 जिला कलेक्टर अलवर के द्वारा न्यायालय की हैसियत से पारित किया गया है, जो विधिक त्रुटि में आता है एवं नियम विरुद्ध है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी आवंटित भूमि पर लम्बे अरसे से लगभग 30 वर्षो से काबिज काश्त है एवं भूमि पर निरन्तर खेती की जा रही है, अपीलान्ट का परिवार बहुत ही गरीब है, कोई भी सरकारी नौकरी में नही है इसलिये सिर्फ खेती पर ही निर्भर है तथा अपीलार्थी ने किसी भी तरह का कोई छल कपट नही किया है और ना ही भू आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया गया, आवंटित भूमि ग्राम सरिस्का वन क्षेत्र की पेरीफेरी में नही आता है, वन विभाग का इन खसरा नम्बर से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है, अपीलार्थी का प्रकरण नियमितीकरण की श्रेणी में आता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही एवं वास्तविकता की बिना कोई जॉच किये ही केवल शिकायत के

P.T.O

आधार पर फौरी तौर पर की गई जांच को आधार मानकर आवंटन आदेश को अपास्त किया गया जो निर्णय विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी को आवंटित की गई भूमि कृषि भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रतिबंधित श्रेणी में नही आती है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार द्वारा पारित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय से बाधित नहीं है बल्कि अपीलान्ट का प्रकरण नियमन की श्रेणी में आता है जो राजस्थान सरकार द्वारा लम्बे अरसे से चले आ रहे कब्जे के आधार पर भू आवंटन नियम 1970 के तहत एवं राजस्थान सरकार के द्वारा जारी परिपत्रों एवं नियमों के अनुसरण में विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर भूमि का अपीलार्थी के पक्ष में नियमन किया जाकर आवंटन पत्र जारी किया गया है जो विधि सम्मत है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 को अपास्त किया जावें एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ का आवंटन आदेश दिनांक 04.03.2022 को बहाल किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान राजगढ़ उपखण्ड के तहत राजगढ़/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जॉच किये जाने हेतु जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा एक जिला स्तरीय जॉच दल का गठन किया गया है तथा प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जॉच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर ने विस्तृत जॉच की जाकर जॉच रिपोर्ट में आवंटन में अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है, आवंटी का निवास स्थान गोलाकाबास , ग्राम गोलाकाबास अंकित किया गया है जबकि आवंटित आराजी वाके ग्राम बिरकड़ी ग्राम पंचायत बिरकड़ी तहसील टहला में स्थित है, प्रावधानानुसार आवंटी उसी ग्राम/ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है, जो भिन्न ग्राम/ग्राम पंचायत के व्यक्ति को आवंटन होने के कारण आवंटन निरस्तनीय ही था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विस्तृत जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 में निम्न तथ्यों व रिपोर्ट का अंकन किया गया है कि मुताबिक जांच रिपोर्ट आवंटित भूमि में आवंटी की पात्रता के निर्धारण हेतु नियत मापदंडो की पालना नही की गई, आवेदन पत्र पंजीकरण पंजिका में संधारित है या नही, से सम्बन्धित कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। उद्घोषणा जारी होने के पश्चात् तामिल/चस्पानगी के सम्बन्ध में तहसीलदार की पालना

रिपोर्ट संलग्न नही है, आवंटन सलाहकार समिति की बैठक की सूचना की तामील कब हुई, इस सम्बन्ध में पत्रावली में तारीख का अंकन नही है, ना ही तामिल कुलिन्दा की रिपोर्ट अंकित है, पटवारी हल्का की मौका जॉच रिपोर्ट एवं वन विभाग, खनिज विभाग की अनापत्ति भी संलग्न नही है, साथ ही आवंटन सलाहाकार समिति की सिफारिश पर दिनांक का अंकन नही किया गया है और बैठक कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर भी नही है, आंशिक रकबे का आवंटन हुआ है, नजरी नक्शा संलग्न नही है, पत्रावली में अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण व अरावली नोटिफिकेशन 07.05.1992 में प्रतिबंधित किस्म जॉच के लिये साबिक रिकार्ड नही है एवं आवंटी का निवासी स्थान गोलाकाबास ग्राम पंचायत गोलाकाबास तहसील टहला अंकित किया गया है जबकि आवंटित आराजी वाके ग्राम बिरकडी ग्राम पंचायत बिरकडी तहसील टहला में स्थित है, प्रावधानानुसार आवंटी उसी ग्राम/ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है, जो भिन्न ग्राम/ग्राम पंचायत के व्यक्ति को आवंटन किया गया है, जॉच कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविरों/ फैलोअप कैम्पों में नही किया जाना बतलाया गया है एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व राजकीय भूमि के आवंटन नियम 1970 के अनुसार आदेश उसी ग्राम में या विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की अनुमति से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किये जाने चाहिये जो नही किये गये है, पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर प्राप्ति का समय व दिनांक अंकित नही है, पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुऐ एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो व नोटिस की विधिवत तामील हुई हो, इस बाबत कोई प्रमाण उपलब्ध नही है, इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन करते समय अवंटन की शर्तों की पालना नही कर आराजी का आवंटन किया गया गया। प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटीकल टाईगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है, ग्राम खारियावास उपवन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का वन क्षेत्र में आता है, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड अलवर के पत्र दिनांक 03.02.2023 के अनुसार ग्राम खिरतबास कमाण्ड क्षेत्र में आता है, आवंटन नियम 1970 के नियम 3 के तहत कमाण्ड क्षेत्र में स्थित भूमि हेतु उक्त नियम लागू नही होते है, एवं उक्त आवंटन के सम्बन्ध मे आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा भी उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 के अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एवं अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आवंटन नियमों की शर्तो की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा भी की गई है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 पारित किया गया है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 में अंकित तथ्यों एवं आक्षेपों के प्रतिकूल एवं अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है जिससे राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के

P.T.O

अन्तर्गत अपीलार्थी की उक्त आवंटन हेतु पात्रता सिद्ध होती हो या आवंटन नियमों हेतु निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप आवंटन हुआ हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.03.2023 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।